

कर्नाटक ने हानिकारक फूड कलरिंग एजेंटों पर प्रतिबंध लगाया

स्रोत: द द्रिष्टि

हाल ही में कर्नाटक सरकार ने **कॉटन कैंडी** और **गोभी मंचूरयिन** जैसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थों में हानिकारक कलरिंग एजेंट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।

- प्रतिबंध **कॉटन कैंडी** में **रोडामाइन B** को लक्षित करता है और **गोभी मंचूरयिन** में **टार्ट्राज़िन** के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।
 - **रोडामाइन B**, एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग आमतौर पर रेशम, जूट, चमड़ा, कपास तथा ऊन को रंगने के लिये सथि्टिक रंगों के साथ-साथ सौंदर्य प्रसाधन एवं प्लास्टिक उद्योगों में किया जाता है।
 - **टार्ट्राज़िन** एक **चमकीला पीला एज़ो डाई** है जो अधिक स्थिर है और साथ ही **प्राकृतिक खाद्य रंगों का एक सस्ता विकल्प भी है**।
- **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण** के अनुसार भोजन में कोई भी रंग पदार्थ तब तक नहीं मिलाया जाना चाहिये जब तक कि खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियमन, 2011 में इसकी अनुमति न हो।

और पढ़ें... [भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/karnataka-ban-harmful-food-colouring-agents>

